न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पश्चिम, मुजफ्फरपुर

बिहार भू विवाद वाद सं0- 253/2012-13

श्री श्याम बाबू साह पे. डोमी साह
साकिन ग्राम सदातपुर, थाना कॉटी
जिला मुजफ्फरपुर ---------- वादी

बनाम्

श्री महावीर साह एवं अन्य
सभी साकिनान सदातपुर, थाना कॉटी
जिला मुजफ्फरपुर ----------प्रतिवादीगण

आदेश फलक

-:आदेश:-

18/2/14 **अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित ।**

वादी ने बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाते हुए न्यायालय से प्रार्थना किया है कि आवेदक को 22 डी. जमीन पर कब्जा दिलाने की कृपा की जाए । वाद की प्रविष्टि करते हुए विपक्षीगण को नोटिश निर्गत किया गया । प्रतिवादीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है । प्रतिवादी ने दिनांक 10.09.13 को बताया कि विवादित भूमि पर सब जज 7 मुजफ्फरपुर द्वारा बंटवारा वाद सं. 505/06 श्याम बाबू साह बनाम् महावीर साह वगैरह में दिनांक 10.05.13 को आदेश पारित हों चुका है । पुन प्रतिवादी ने 17.12.13 को न्यायालय से अनुरोध किया कि वाद खारिज किया जाए । वादी को इस संबंध में अपनी बातों को रखने हेतु अनेकों मौका दिया गया परन्तु वादी दिनांक 17.12.13 से लगातार उपस्थित रहें । अभिलेख 22.01.14 को आदेश पर लिया गया ।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षेप में कहना है कि:-

1. खाता नं. 309 खेसरा नं. 1063, 1064 एवं 1084 रकवा क्रमशः 6 डी., 6 डी. एवं 32 डी. है जिसका सर्वे खतियान आवेदक के दादा स्व. नथूनी साह पे. कन्हाई साह वो स्व. फुदी साह व महावीर साह पे. बुधु साह उर्फ बैजु साह के नाम दर्ज है ।

2. उक्त खेसरा नं. में आधा हिस्सा आवेदक का है और आधे विपक्षीयों की है और शुरू से ही दोनों पक्ष आधा-आधा लगान दिया करते है ।

3. यह कि नथुनी साह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र डोमी साह थे और उनकी मृत्यु के बाद आवेदक है । उसी प्रकार फुदी साह की मृत्यु के बाद उनके तीनों लड़का यानि विपक्षी सं. 2 से 4 तथा विपक्षी सं. 1 महावीर साह पुरे जमीन के आधा पर ही कब्जे में चले आ रहे थे जैसा कि विपक्षियों का हिस्सा बनता था ।

4. आवेदक अकेले है इसलिए विपक्षीगण एकजुट होकर पुरे खेसरा की पुरे रकवा का तिहाई करके कब्जा कर लिया जब कि विपक्षीयों का पुरे रकवा 44 डी. में मात्र 22 डी. का ही हक वो कब्जा चला आ रहा है, लेकिन जमीन की कीमत बढ़ने के कारण विपक्षीयों ने अपने हक से ज्यादा जमीन यानी 29 डी. पर कब्जा दिनांक 20.01.13 को जमा लिया, जबकि उनका मात्र कब्जा 22 डी. पर ही होना चाहिए ।

5. आवेदक ने विपक्षिगण से अनुरोध किया लेकिन विपक्षीगण नहीं माने और तब पंचायती भी कराया लेकिन विपक्षीगण ने पंचो की बात दिनांक 25.01. 13 को ठुकरा दिया ।

6. आवेदक ने अंतिम बार दिनांक 06.01.13 को विपक्षीयों को कब्जा छोड़ने के लिए आग्रह किया लेकिन विपक्षीगण नहीं माने तो यह वाद पत्र दाखिल करना पड़ा ।

7. आवेदक ने कागजात एवं पूर्व कब्जा के आधार पर एवं पंचों की पंचायती के आलोक में 22 डी. जमीन पर कब्जा दिलाने का अनुरोध मांगा है ।

आवेदक ने अपने बातों के समर्थन में न्यायालय के अवलोकनार्थ खतियान की छाया प्रति दाखिल किया है:-

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि पर वादी ने ही अवर न्यायाधीश सप्तम मुज० के न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध बंटवारा वाद सं. 505/06 लाया था जिसमें दिनांक 10.05.13 को आदेश भी पारित हो चुका है । अत: वादी का वाद खारिज योग्य है ।

विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय अवर न्यायाधीश सप्तम मुजफ्फरपुर द्वारा

बंटवारा वाद सं. 505/2006 में पारित आदेश दिनांक 10.05.13 की वाजप्ता नकल की छाया प्रति दाखिल किया है । जिसमें वादी श्याम बाबू साह एवं प्रतिवादीगण महावीर साह एवं अन्य है ।

विश्लेषण :-

वादी द्वारा दाखिल वाद पत्र में अंकित विवादित भूमि एवं खतियान तथा प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बंटवारा वाद सं. 505/06 के पारित आदेश दिनांक 10. 05.13 के गहनावलोकन एवं मनन से स्पष्ट है कि बिहार भूमि विवाद वाद में वर्णित जमीन एवं पक्षकार दोनों वाद में है । बंटवारा वाद में विवादित जमीन खाता नं. 309 खेसरा नं. 1063,, 1064, 1084 का रकवा क्रमशः 6 डी., 6 डी. एवं 32 डी. के अतिरिक्त खाता 519 का खेसरा 1073, 1089 रकवा 10 डी. एवं 46 डी. भी है ।

माननीय न्यायालय सब जज सप्तम ने अपने निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेख किया है कि यह बंटवारा वाद वादी की ओर से वाद पत्र में वर्णित सम्पति के ½ हिस्से के बंटवारा की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने तत्पश्चात सर्वे ज्ञात अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर उसके हिस्से की अलग पट्टी बनवा कर उस पर कब्जा दिलाने तथा प्रतिवादीगणों से इस वाद का खर्च दिलाने एवं अन्य अनुतोषों के लिए लाया है ।

जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.13 द्वारा वादी द्वारा लाये गये वाद को ससंधर्ष खारिज कर दिया है ।

आदेश

उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजात के आधार पर वादी द्वारा लाये गये वाद निष्पादन माननीय न्यायालय सब जज सप्तम द्वारा बंटवारा वाद सं. 505/2006 में पारित आदेश दिनांक 10.05.13 के आलोक में हो चुका है । वादी का अनुतोष देय नहीं है । अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

18/2/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर।

18/2/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।